(138)

रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96

REGN. NO. D. L.—33004/96

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 1996/चैत्र 15, 1918
No. 144] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 1996/CHAITRA 15, 1918

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1996

सा.का.नि. 179(अ).—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961य(1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 (1985 का गुजरात अधिनियम सं. 16) का, जैसा वह इस अधिसूचना की तारीख को गुजरात राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करता है, अर्थात् :—

उपान्तरण

1. गुजरात समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1985 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) धारा 2 के खंड (ज)' के सिवाय, "सरकार" शब्द और राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर 'प्रशासक' शब्द रखा जाएगा;

(ख) संक्षिप्त नाम में के सिवाय ,"गुजरात" शब्द के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शब्द रखे जाएंगे :

(ग) "राज्य" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां यह आता है, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र " शब्द रखे जाएंगे :

(घ) "या पुलिस आयुक्त" शब्दों का जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

2. धारा 1 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ।

"(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा" ।

3. धारा 2 में :

(क) खंड (झ) को खंड (कक) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित खंड (कक) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ख) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है :

(ख) खंड (ञ) में बाम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 "शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली उत्पाद शुल्क विनियम, 1969" शब्द रखे जाएंगे :

(ग) खंड (ट) में "स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 "शब्दों के स्थान पर" अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 शब्द रखे जाएंगे :

(घ) खंड (ज) में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे :

(ङ) खंड (अ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(अ) "अप्राधिकृत संरचना" से कोई ऐसी संरचना अभिप्रेत है जो ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले अधिकारी या प्राधिकारी की वादरा और नागर हवेली लैंड रेवन्यू (एडमिनिस्ट्रेशन रेग्यूलेशन, 1971 दादरा और नागर हवेली विलेज पंचायत रेग्यूलेशन 1965 दि मोरा एण्ड दीव टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1974 दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित और उसके अधीन बनाये गये विकास नियंत्रण नियम, दादरा और नागर हवेली लैंड रिफार्मस रेग्यूलेशन, 1971 का ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार के सिवाय समिमित की गई है ;"

4. धारा 15 में, "बाम्बे जनरल क्लाजेज एक्ट, 1904 की धारा 21" शब्दों के स्थान पर" साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) शब्द रखे जाएंगे ।

5. धारा 18 में, "इस अधिनियम के प्रारंभ पर और उसके पश्चात्" शब्दों के स्थान पर" दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर इस अधिनियम के विस्तार पर और उसके पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 19 का लोप किया जाएगा ।

उपाबंध

गुजरात समाज-विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1985 (1985 का गुजरात अधिनियम सं. (6) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित है ।

अवैध शराब व्यापारियों खतरनाक व्यक्तियों, मादक द्रव्य अपराधियों अनैतिक व्यापार अपराधियों और संपत्ति हथियाने वाले व्यक्तियों का लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उनके समान विरोध और खतरनाक क्रिया कलापों के निवारण के लिए निवारक निरोध का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गुजरात समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1985 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषा : इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(कक) "प्राधिकृत अधिकारी" से धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस धारा की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई जिला मैजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ख) "अवैध शराब व्यापारी" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र उत्पाद शुल्क विनियम 1969 (1969 का 2) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा आदेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी चिकित्सक, मादक औषधि, या अन्य मादकों का आसवन विनिर्माण, भंडारण, परिवहन आयात, निर्यात, विक्रय या वितरण करता है या जो जानबूझकर ऊपर वर्णित किसी बात को अग्रसर करने में या उसके समर्थन के लिए अन्य किसी व्यक्ति द्वारा या उसके माध्यम से किसी धन का व्यय करता है या उसे लगाता है या किसी पशु, यान, कम्पार्टमेंट या अन्य सवारी या सिर पर या किसी भी अन्य सामग्री का प्रयोग करता है या किसी ऐसी बात को किसी अन्य रीति से करने का दुष्प्रेरण करता है।

(ग) "खतरनाक व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन दंडनीय किसी अपराध या आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अध्याय 5 के अधीन दंडनीय कोई अपराध स्वयं या किसी गैंग के सदस्य या नेता के रूप में अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या किये जाने का दुष्प्रेरण करता है ;

(घ) "निरोध आदेश" से धारा 3 के अधीन किया गया आदेश अभिप्रेत है;

(ङ) "सिद्ध व्यक्ति" से किसी निरोध आदेश के अधीन सिद्ध व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "औषधि अपराधी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "औषधि अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 के उल्लंघन में किसी औषधि का आयात करता है;

(2) औषधि अधिनियम की धारा 18 के उल्लंघन में किसी औषधि का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या उसका विक्रय करता है या विक्रयार्थ स्टाक करता है या प्रदर्शित करता है अथवा वितरित करता है ;

(3) औषधि अधिनियम की धारा 33ख के उल्लंघन में किसी आयुर्वेदिक (जिसके अन्तर्गत सिद्ध भी है) या यूनानी औषधि का विक्रयार्थ विनिर्माण करता है ;

(4) औषधि अधिनियम की धारा 33छ के उल्लंघन में अध्याय 4क के अधीन अनुज्ञप्त किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित से भिन्न किसी आयुर्वेदिक (जिसके अन्तर्गत सिद्ध भी है) या यूनानी औषधि का विक्रय करता है या विक्रयार्थ स्टाक करता है या प्रदर्शित करता है, अथवा वितरित करता है ;

(5) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 8 के उल्लंघन में किसी कोका के पौधे, अफीम पोस्त या कैनेबिस के पौधे की खेती करता है या किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण पकड़ा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, अन्तरराज्यिक, आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या स्थानांतरण करता है ;

(6) जानबूझकर उपखंड (1) से उपखंड (5) में वर्णित किसी बात के अग्रसर करने में या उसके समर्थन के लिए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या उसके माध्यम से किसी धन का व्यय करता है या उसका प्रदान करता है;

(7) उपखंड (1) के उपखंड (6) में से किसी में वर्णित किसी बात को किसी भी रीति से करने का दुष्प्रेरण करता है ;

(छ) "अनैतिक व्यापार अपराधी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) के अधीन अव्यवहित: कोई अपराध करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है;

(ज) "संपत्ति हथियाने वाला व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति, अभिप्रेत है जो किसी ऐसी भूमि का अवैध कब्जा कर लेता है जो उसकी स्वयं की नहीं है अपितु केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य व्यक्ति की है या जो ऐसी भूमि की बाबत अवैध अभिधारण या इकाजत और अनुज्ञप्ति करार या कोई अन्य करार करता है या सृजित करता है या जो उस पर किराया या भाड़ा के लिए अप्राधिकृत संरचना का सन्निर्माण करता है या ऐसी भूमि को अप्राधिकृत संरचनाओं के सन्निर्माण या उपयोग और अधिभोग के लिए किराए या इकाजत और अनुज्ञप्ति के आधार पर किसी व्यक्ति को देता है या जो जानबूझ कर किसी व्यक्ति को ऐसी भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए या उस पर अप्राधिकृत संरचना के सन्निर्माण के लिए किसी सहायता देता है या जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी भूमि के किन्हीं अधिभोगियों को भाड़ा, प्रतिकर या अन्य प्रभार संगृहीत करता है या करने का प्रयत्न करता है या तो विधिपूर्ण प्रक्रिया का सहारा लिए बिना स्वयं द्वारा ऐसे अधिभोगियों को बेदखल करता है या बेदखल करने का प्रयत्न करता है या जो ऊपर वर्णित किसी बात की किसी रीति में करने का दुष्प्रेरण करता है;

(झ) "अप्राधिकृत संरचना" से अभिप्रेत है ऐसी कोई संरचना जिसका दादरा और नागर हवेली लैंड रेवेन्यु एडमिनिस्ट्रेशन रेग्युलेशन, 1971 (1971 का 1) और दादरा और नागर हवेली विलेज पंचायत रेग्युलेशन एक्ट, 1965, (1965 का 3) गोवा, दमण और दीव टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1974, (275 का 21) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित और उसके अधीन बनाए गए विकास नियंत्रण नियम तथा दादरा और नागर हवेली लैण्ड रिफार्म रेग्युलेशन, 1971 (1971 का 3) के अधीन अपेक्षित ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले अधिकारी या प्राधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुज्ञा के बिना या तत्समय उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार के सिवाय, ऐसे क्षेत्र में सन्निर्माण किया गया है, या

3 (1) यदि प्रशासक का किसी व्यक्ति की बाबत यह समाधान हो जाता है कि लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य से उसे निवारित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए।

(2) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान या जिनके विद्यमान होने की संभावना हो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि यदि जिला मजिस्ट्रेट का उपधारा (1) में यथाउपबंधित रूप में समाधान हो जाता है तो वह भी उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;

(3) जब किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश किया जाता है तो वह तुरन्त उस तथ्य की रिपोर्ट उन आधारों के साथ जिनपर आदेश किया जाता है और ऐसी अन्य विशिष्टियों के सहित जो उसकी राय में उस बात से संबंधित है प्रशासक को करेगा और ऐसा आदेश उसके किए जाने के पश्चात बारह दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। जब तक कि इस बीच उसका प्रशासक द्वारा अनुमोदन न कर दिया गया है।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को "लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करने वाला" तब समझा जाएगा जब ऐसा व्यक्ति चाहे अवैध शराब व्यापारी, खतरनाक व्यक्ति या आदिधि अपराधी, अनैतिक व्यापार अपराधी या सम्पत्ति हथियाने वाले व्यक्ति के रूप में संलग्न है या ऐसे किसी क्रियाकलाप में संलग्न होने की तैयारी कर रहा है जिससे लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

स्पष्टीकरण:

इस उपधारा के प्रयोजन के लिए सम्यक् शक्ति के साथ साथ लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होना तब समझा जाएगी जब इस उपधारा में विनिष्ट किसी व्यक्ति के ऐसे किसी भी क्रियाकलाप से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: साधारण जनता या उसके किसी भाग को कोई हानि, खतरा या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई हो या उत्पन्न होने की संभावना हो अथवा जीवन संपत्ति या जन स्वास्थ्य को गंभीर या व्यापक खतरा पहुंचा है या पहुंचने की संभावना है:

4. निरोध आदेश का निष्पादन (1974 का 2) निरोध आदेश का निष्पादन दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में वारंट के निष्पादन के लिए उपबंधित रीति में किया जा सकेगा।

5. निरोध के स्थान और शर्तों का विनियमन करने की शक्ति:— ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बाबत निरोध आदेश किया गया है :—

(क) ऐसे स्थान और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि प्रशासक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिष्ट करे जिसमें अनुरक्षण, अनुशासन और अनुशासन भंग के लिए शास्ति भी सम्मिलित है, निरुद्ध किया जा सकेगा, और

(ख) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में निरोध के एक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान पर प्रशासक के आदेश से हटाया जा सकेगा।

6. निरोध के आधारों का पृथक्करणीय:—जहां किसी व्यक्ति के बारे 3 के अधीन निरोध के आदेश के अनुसरण में निरोध किया गया है वो दो या अधिक आधारों पर किया गया है, वहां वह निरोध का आदेश प्रत्येक आधार पर पृथक रूप से किया गया समझा जाएगा और तदनुसार:

(क) ऐसे आदेश को केवल इस लिए अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं समझा जाएगा कि एक या कुछ आधार—

(i) अस्पष्ट

(ii) अधिकमान

(iii) अनुसंधान

(iv) ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध नहीं है या अव्यवहित रूप से सम्बद्ध नहीं है, या

(ग) किन्हीं भी अन्य कारण से अनिधिया-य है ।

अतः यह कथन संभव नहीं है कि प्रशासक या ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी का, शोध आधार या आधारों के प्रतिनिर्देश से धारा 3 में यथा उपबंधित समाधान हो जाता और वह निरोध का आदेश दे देता;

(ख) निरोध का आदेश करने वाले प्रशासक या अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उक्त धारा के अधीन निरोध का आदेश शेष आधार या आधारों के प्रावधानदेश से उस धारा में यथाउपबंधित समाधान हो जाने के पश्चात् किया है ।

7. कुछ आधारों पर निरोध आदेश का अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय न होना—निरोध का कोई आदेश केवल इस कारण से अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं होगा कि—

(क) उसके अधीन निरोध किया जाने वाला व्यक्ति यद्यपि दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में भीतर है, आदेश करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान यद्यपि दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के भीतर है, तथापि उक्त सीमाओं से बाहर है । यदि प्रशासक या किसी प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा यह विश्वास करने का कारण हो कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है, फरार हो गया है या स्वयं को छुपाए हुए है जिससे कि

8. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां —(1) ऐसे व्यक्ति और उसकी संपत्ति की बाबत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 82 से धारा 86 तक (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध इस उपधारा में वर्णित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे और ऐसे स्थान का जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, विचार किए जाने बिना उसके विरुद्ध किया गया निरोध का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारंट समझा जाएगा । जहां निरोध का आदेश, यथास्थिति, प्रशासक द्वारा और प्रशासक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा, जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, किया गया है, या जहां निरोध का आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, वहां उसको मामूली अधिकारिता का विचार किए बिना, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के लिए तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग में स्थित उसकी संपत्ति को कुर्की तथा उसके विक्रय के लिए और उक्त धाराओं के अधीन कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए उद्घोषणा जारी करने के लिए उक्त संहिता की धारा 82, 83, 84 और 85 के अधीन सक्षम न्यायालय को सभी शक्तियों का प्रयोग और उक्त धाराओं के अधीन कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए समाप्त समझा जाएगा, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन को नामंजूर करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील, उक्त संहिता की धारा 86 में यथा उपबंधित ऐसे सत्र न्यायालय को जिसकी अधिकारिता उस स्थान पर है जहां उक्त व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, होगी,

(2) (क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि प्रशासक या प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत निरोध का आदेश किया गया है, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है, जिससे कि आदेश का निष्पादन नहीं किया जा सके, तो यथास्थिति, प्रशासक या वह अधिकारी, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, उस व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी के समक्ष, ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हाजिर होने का निदेश दे सकेगा ।

(ख) जहां ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करने में असफल रहता है, वहां जब तक कि वह साबित नहीं करता है कि उसके लिए उसका पालन करना संभव नहीं था, और उसने आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, आदेश में उल्लिखित अधिकारी को, उन कारणों के बारे में जिनके कारण उसका पालन करना असंभव हो गया था और अपने ठिकाने के बारे में सूचना दे दी थी या यह प्रकाशित करता है कि उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह आदेश में उल्लिखित अधिकारी को ऐसी सूचना दे, वह दो सिद्धि कर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(3) उक्त संहिता में किसी बात के होते हुए भी खण्ड (ख) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

9. निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का बताया जाना—

(1) जब किसी व्यक्ति को निरोध के किसी आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला अधिकारी, उसे यथाशीघ्र किन्तु निरोध की तारीख से सात दिन के अवसान ऐसे आधारों को जिन पर ऐसा आदेश किया गया है, संसूचित करेगा और उसे ऐसे आदेश के विरुद्ध प्रशासक को अभ्यावेदन के लिए शीघ्र ही अवसर देगा ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात से यह अपेक्षित नहीं होगा कि प्राधिकारी ऐसे तथ्यों को प्रकट करे जिन्हें वह प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समझता है ।

10. सलाहकार बोर्ड का गठन—(1) प्रशासक, जब कभी आवश्यक हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्ड गठित करेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसे बोर्ड में अध्यक्ष और दो ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या न्यायाधीश रहे हैं या जो भारत के संविधान के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है :

परन्तु ऐसे बोर्ड का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है ।

11. सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना—ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां इस अधिनियम के अधीन निरोध का कोई आदेश किया गया है, प्रशासक, आदेश के अधीन किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, धारा 10 के अधीन उसके द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष ऐसे आधारों को, जिनपर आदेश किया गया और आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तथा जहां आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है वहां धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट को भी रखेगा ।

12. सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया—(1) [illegible] अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रशासक से या प्रशासक के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए किसी व्यक्ति से या निरुद्ध व्यक्ति से ऐसी और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदि किसी विशिष्ट मामले में सलाहकार बोर्ड ऐसा करना आवश्यक समझे या यदि निरुद्ध व्यक्ति सुने जाने की वांछा करे तो निरुद्ध व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से सुने जाने के पश्चात् निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से सात सप्ताह के भीतर प्रशासक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक पृथक भाग में इस बारे में सलाहकार बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट होगी कि निरुद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं ।

(3) जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय बोर्ड की राय समझी जाएगी ।

(4) सलाहकार बोर्ड की कार्यवाहियों और उसकी रिपोर्ट, सिवाए रिपोर्ट के उस भाग के जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट है, गोपनीय होगी ।

(5) इस धारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निरोध का आदेश किया गया है, किसी ऐसे विषय में, जो सलाहकार बोर्ड के प्रति निर्देश से संबंधित है, किसी विधि व्यवसायी द्वारा उपसंजात होने का हकदार नहीं होगा ।

13. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई.—(1) किसी ऐसे मामले में, जहां सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में निरुद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, प्रशासक निरोध के आदेश की पुष्टि करेगा और निरुद्ध व्यक्ति के निरोध को, धारा 14 द्वारा विहित अधिकतम अवधि से अनधिक अवधि के लिए, जैसा वह ठीक समझे, जारी रखेगा ।

(2) किसी ऐसे मामले में जहां सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में संबद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, प्रशासक निरोध के आदेश को प्रतिहृत करेगा और निरुद्ध व्यक्ति को तत्काल छुड़वाएगा ।

14. निरोध की अधिकतम अवधि.—वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किए गए निरोध के ऐसे आदेश के अनुसरण में, जिसकी धारा 13 के अधीन पुष्टि की जा चुकी है, निरोध की तारीख से एक वर्ष होगी ।

15. 1897 का 10 निरोध आदेश का प्रतिसंहरण.—(1) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरोध के आदेश को, किसी भी समय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, प्रशासक द्वारा भी कि किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश किए जाने पर भी प्रतिसंहृत या उपांतरित किया जा सकेगा ।

(2) निरोध के किसी आदेश का (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस उपधारा में "पूर्ववर्ती निरोध आदेश" कहा गया है) अवसान या प्रतिसंहरण धारा 3 के अधीन उसी व्यक्ति के विरुद्ध निरोध का कोई अन्य आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस उपधारा में "पश्चातवर्ती निरोध आदेश" कहा गया है) किए जाने से वर्जित नहीं करेगा :

परन्तु किसी ऐसे मामले में, जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किए गए पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अवसान या प्रतिसंहरण के पश्चात् कोई नए तथ्य उद्भूत नहीं हुए हैं, अधिकतम अवधि, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को पश्चातवर्ती निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सकेगा, किसी भी दशा में, पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अधीन निरोध की तारीख से बारह मास की अवधि की समाप्ति से परे नहीं बढ़ाई जाएगी ।

16. निरुद्ध व्यक्तियों को अस्थाई रूप से छोड़ा जाना.—(1) प्रशासक, किसी भी समय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि निरोध के आदेश के अनुसरण में किसी निरुद्ध व्यक्ति को, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए शर्तों के बिना या निदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर जो वह व्यक्ति स्वीकार करें छोड़ दिया जाए और किसी भी समय उसके छोड़ जाने को रद्द कर सकेगा ।

(2) प्रशासक, उपधारा (1) के अधीन किसी निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का निदेश देने में उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रतिभूतों सहित या उनके बिना एक बंधपत्र लिखे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई निरुद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, उसके छोड़े जाने का या छोड़े जाने को रद्द किए जाने का निदेश देने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर और प्राधिकारी के समक्ष स्वयं को उपस्थापित करेगा ।

(4) यदि कोई निरुद्ध व्यक्ति उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से स्वयं को पर्याप्त कारण के बिना उपस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई निरुद्ध व्यक्ति उक्त उपधारा के अधीन उस पर अधिरोपित या उसके द्वारा लिखे गए बंधपत्र में की शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रहता है, तो बंधपत्र को समयहृत घोषित कर दिया जाएगा और उससे आबद्ध कोई व्यक्ति उसकी शास्ति का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा ।

17. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण.—इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रशासक या किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

18. इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र के विषयों को इस अधिनियम के अधीन बढ़ना जाएगा.—इस अधिनियम का दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार किए जाने पर और उसके पश्चात् प्रशासक या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा, राज्य क्षेत्र में शराब का व्यापार करने वाला, औषधि अपराधी, खतरनाक व्यक्ति, अनैतिक व्यापार अपराधी या संपत्ति हथियाने वाले की बाबत, लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी प्रकार का कार्य करने से उसे रोकने के आशय से जहां तक ऐसे व्यक्ति के निरोध के लिए इस अधिनियम के अधीन आदेश किया जा सकता हो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन निरोध का कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. यू.-11015/3/93—यू टी एस]

राजीव आर. शाह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 1996

G.S.R. 179(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act, 1985 (Gujarat Act No. 16 of 1985) as in force in the State of Gujarat

at the date of this notification subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In the Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act, 1985 unless the context otherwise requires, —

(a) for the word "Government" except in clause (h) of Section 2, and for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted;

(b) for the word "Gujarat" except in the short title, the words "Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted;

(c) for the word "State" wherever it occurs, the words "Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted;

(d) the words "or a Commissioner of Police" wherever they occur, shall be omitted.

2. In Section 1, sub-section (3) shall be substituted as under :—

"(3) It shall come into force at once".

3. In Section 2, —

(a) clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before the clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution";

(b) in clause (b), for the words "Bombay Prohibition Act, 1949", the words "Dadra and Nagar Haveli Excise Duty Regulation, 1969" shall be substituted.

(c) in clause (g), for the words "Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956", the words "Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956" shall be substituted.

(d) in clause (h), for the word "Government", the words "Central Government" shall be substituted;

(e) for clause (i) the following shall be substituted, namely :—

"(i) "unauthorised structure" means any structure constructed in any area without express permission in writing of the officer or authority having jurisdiction in such area required under the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971, the Dadra and Nagar Haveli Village Panchayats Regulation, 1965, the Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act, 1974 as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Development Control Rules framed thereunder, the Dadra and Nagar Haveli Land Reforms Regulation, 1971 or except in accordance with any other law for the time being in force in such area".

4. In Section 15, for the words "Section 21 of the Bombay General Clauses Act, 1904", the words "the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897)" shall be substituted.

5. In Section 18 for the words "on and after the commencement of this Act", the words "on and after the extension of this Act to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli", shall be substituted.

6. Section 19 shall be omitted.

ANNEXURE

The Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act, 1985 (Gujarat Act No. 16 of 1985) as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

AN ACT TO PROVIDE FOR PREVENTION DETENTION OF BOOTLEGGERS, DANGEROUS PERSONS, DRUG OFFENDERS, IMMORAL TRAFFIC OFFENDERS AND PROPERTY GRABBERS FOR PREVENTING THEIR ANTI-SOCIAL AND DANGEROUS ACTIVITIES PREJUDICIAL TO THE MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER

It is hereby enacted in the Thirty Sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Gujarat Prevention of Anti-social Activities Act, 1985.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(aa) "authorised officer" means a District Magistrate authorised under sub-section (2) of section 3 to exercise the powers conferred under sub-section (1) of that section;

(b) "bootleggers" means a person who distills, manufactures, stores, transports, imports, exports sells or distributes any liquor, intoxicating drug or other intoxicant in contravention of any provision of the Dadra

and Nagar Haveli Excise Duty Regulation, 1969 (2 of 1969) and the Rules and orders made thereunder, or of any other law for the time being in force or who knowingly expends or applies any money or supplies any animal, vehicle, vessel or other conveyance or any receptacle or any other material whatsoever in furtherance or support of the doing of any of the things described above by or through any other person, or who abets in any other manner the doing of any such thing.

(c) "dangerous person" means a peron, who either by himelf or as a member or leader of a gang habitually commits, or attempts to commit or abets the commission of any of the offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860, 54 of 1959) or any of the offences punishable under Chapter V of the Arms Act, 1959.

(d) "detention order" means an order made under section 3.

(e) "detenu" means a person detained under a detenion order:

(f) "drug offender" means a person who —

(i) imports any drug in contravention of section 10 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 23 of 1940 (hereinafter in this definition referred to as "the Drugs Act"):

(ii) Manufactures for sale, or sells, or stocks or exhibits for sale, or distributes any drug in contravention of section 18 of the Drugs Act;

(iii) manufactures for sale any Ayurvedic (including Siddha) or Unani drug in contravention of section 33D of the Drug Act;

(iv) sells or stocks or exhibits for sale or distributes any Ayurvedic (including Siddha) or Unani drug other than that manufactuered by a manufacturer travention of section 33E of the Drugs Act.

(v) cultivates any coca plant, opium poppy or cannabis plant or produces, manufactures, possesses, sells, purchases, transports, warehouses, imports, inter-state exports inter-sate imports into India, exports from India or tranships any narcotic drug or psychotropic substance in contravention of section 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985).

(vi) knowingly expends or supplies any money in furtherance or suport of the doing of any of the things mentioned in any of the sub-clauses (i) to (v) by or through any other person, or

(vii) abets in any manner the doing of any of the things mentioned in any of the sub-clauses (i) to (vi);

(g) "immoral traffic offender" means persons who habitually commits or abets the commission of any offence under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956);

(h) "property grabber" means a person who illegally takes possession of any land not belonging to himself but belonging to Central Government, local authority or any other person or enters into or creates illegal tenancies or leave and licence agreements or any other agreements in respect of such lands or who constructs unauthorised structures theron for sale or hire or gives such lands to any person on rental or leave and licence basis for construction or use and occupation of unauthorised structures or who knowingly gives financial aid to any person for taking illegal possession of such lands or for enstruction of unauthorised structures thereon or who collects or attempts to collect from any occupiers of such lands rent, compensation or other charges by criminal intimidation or who evicts or attempts to evict any such occupiers by force without resorting to the lawful procesure or who abets in any manner the doing of any of the above mentioned things.

(i) "unauthorised structure" means any structure constructed in any area without express permission in writing of the officer or authority having jurisdiction in such area required under the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971, the Dadra and Nagar Haveli Village Panchayats Regulation, 1965, the Goa, Daman and Diu Town & Country Planning Act, 1974 2 or 1971 3 of 1965, 21 of 1975, 3 of 1971 as extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Develonment Control Rules framed thereunder. Dadra and Nagar Haveli Land Reforms Regulation, 1971, or except in accordance with any other law for the time being in force in such area.

3. Power to make orders detaining certain persons—(1) The Administrator may, if satisfied with respect to any person that with aview to preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order it is necessary so to do, make an order directing that such person be detained.

(2) If, having regard to the circumstances prevailing or likely to prevail in any area within the local limits of the jurisdiction of a District Magistrate, the dminstrator is satisfied that it is necessary so to do, he may, by order n writing direct that the District Magistrate may also, if satisfied as provided in sub-

section (1), exercise the powers conferred by the said sub-section.

(3) When any order is made under this section by an authorised officer he shall forthwith report the fact to the Administrator together with the grounds on which the order has been made and such other particulars as, in his opinion, have a bearing on the matter, and no such order shall remain in force for more than twelve days after the making thereof, unless, in the meantime, it has been approved by the Administrator.

(4) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be "acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order" when such person is engaged in or is making preparation for engaging in any activities whether as a bootlegger, dangerous person or drug offender or immoral traffic offender or property grabber, which affect adversely or are likely to affect adversely the maintenance of public order.

Explanation :—For the purpose of this sub-section, public order shall be deemed to have been affected adver sely or shall be deemed likely to be affected adversely inter-alia if any of the activities of any person referred to in this sub-section directly or indirectly, is causing or is likely to cause any harm,danger or alarm, or feeling of insecurity among the general public or any section thereof or a grave or widespread danger to life, property or public health.

4. Execution of detention order 2 of 1974.—A detention order may be executed at any place in the Union territory of Dadra and Nagar Haveli in the manner provided for the execution of warrant of arrest under the Code of Criminal Procedure, 1973.

5. Power to regulate place and conditions of detention.—Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable:—

(a) to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to maintenance, discipline and punishment for breaches o fdiscipline, as the Administrator may, by general or special order, specify; and

(b) to be removed from one place of detention to another place of detention, within the Union territory of Dadra and Nagar Haveli by order of the Administrator.

6. Grounds of detention severeable.—Where a person has been detained in pursuance of an order of detention under section 3 which has been made on two or more grounds, such order to detention shall be deemed to have been made separately on each ground and accordingly:—

(a) such order shall not be deemed to be invalid or inoperative merely because one or some of the grounds is or are—

(i) Vague,

(ii) non-existent,

(iii) not-relevant,

(iv) not connected or not proximately connected with such person, or

(v) invalid for any other reason whatsoever, and it is not, therefore, possible to hold that the Administrator or the officer making such order would have been satisfied as provided in section 3 with refernce to the remaining ground or grounds and made the order of detention;

(b) the Administrator or the officer making the order of detention shall be deemed to have made the order of detention under the said section after being satisfied as provided in that section with reference to the remaining ground or grounds.

7. Detention orders not to be invalid or inoperative on certain grounds.—No detention order shall be invalid inoperative merely by reason- -

(a) that the person to be detained thereunder, though, within the Union territory of Dadra and Nagar Haveli is outside the territorial jurisdiction of the authorised officer taking the order,or

(b) that the place of detention of such person though, within the Union territory of Dadra and Nagar Haveli is outside the said limits.

8. Powers in relation to Absconding persons.—(1) If the Administrator or any authorised officer has reason to believe that a person in respect of whom a detention order has been made has absconded, or is concealing himself so that the order cannot be executed, then the provisions, of sections 82 to 86 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure 1973, (2 of 1974) shall apply in respect of such person and his property, subject to the modifications mentioned in this sub-section and, irrespective of the place where such person ordinarily resides, the detention order made against him shall be deemed to be a warrant issued by a competent Court. Where the detention order is made by the Administrator and Officer not below the rank of a District Magistrate authorised by the Administrator in this behalf, or where the detention order is made by an authorised officer, the authorised officer, as the case may be, shall irrespective of his ordinary jurisdiction, be deemed to be empowered to exercise all powers of the competent Court under sections 82, 83, 84 and 85 of the said Code for issuing a proclamation for such person and for attachment and sale of his property situated in any part of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and for taking any other section under the said sections. An appeal from any order made by any such officer rejecting an application for restoration of attached property shall lie to the Court of Sessions having jurisdiction in the place where the said person ordinarily resides, as provided in section 86 of the said Code.

(2) (a) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if the Administrator or any authorised officer has reason to believe that person in respect of whom a detention order has been made has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed, the Administrator or the officer, as the case may be, may by order notified in the official Gazette direct the said person to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order.

(b) Where such person fails to comply with such order, then unless he proves that it was not possible for him to comply therewith, and that he had, within the period specified in the order, informed the officer mentioned in the order of the reasons which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, or proves that it was not possible for him to so inform the officer mentioned in the order, he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

(c) Notwithstanding anything contained in the said Code, every offence under clause (b) shall be cognizable.

9. Grounds of Orders of Detention to be Disclosed to Detenue.—(1) When a person is detained in pursuance of a detention order the authority making the order shall, as soon as may be, but not later than seven days from the date of detention, communicate to him the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order to the Administrator.

(2) Nothing in sub-section (1) shall require the authority to disclose facts which it considers to be against the public interest to disclose.

10. Constitution of Advisory Board.—(1) The Administrator shall whenever necessary constitute one or more Advisory Boards for the purposes of this Act.

(2) Every such Board shall consist of a Chairman and two other members who are, or have been judges, of any High Court or who are qualified under the Constitution of India to be appointed as Judges of a High Court :

Provided that the Chairman of such Board shall be a person who is, or has been a Judge of a High Court.

11. Reference to Advisory Board.—In every case where a detention order has been made under this Act the Administrator shall, within three weeks from the date of detention of a person under the order, place before the Advisory Board constituted by him under section 10 the grounds on which the order has been made and the representation, if any, made by the person affected by the order, and where the order has been made by an authorised officer, also the report made he such Officer under sub-section (3) of section 3.

12. Procedure of Advisory Board.—(1) The Advisory Board shall, after considering the materials placed before it and, after calling for such further information as it may deem necessary from the Administrator or from any person called for the purpose through the Administator or from the detenu and if, in any particular case, the Advisory Board considers it essential so to do or if the detenu desires to be heard after hearing the detenu in person, submit its report to the Administrator within seven weeks from the date of detention of the detenu.

(2) The report of the Advisory Board shall specify in a separate part thereof the opinion of the Advisory Board as to whether or not there is sufficient cause for the detention of the detenu.

(3) When there is a difference of opinion among the members forming the Advisory Board the opinion of the majority of such members shall be deemed to be the opinion of the Board.

(4) The proceedings of the Advisory Board and its report excepting that part of the report in which the opinion of the Advisory Board is specified shall be confidential.

(5) Nothing in this section shall entitle any person against whom a detention order has been made to appear by any legal practitioner in any matter connected with the reference to the Advisory Board.

13. Action upon Report of Advisory Board.—(1) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the detention of the detenue, the Administrator may confirm the detention order and continue the detention of the detenu for a period, not exceeding the maximum period prescribed by section 14 as it thinks fit.

(2) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, no sufficient cause for the detention of the person concerned, the Administrator shall revoke the detention order and cause the detenu to be released forthwith.

14. Maximum period of Detention.—The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order made under this Act which has bene confirmed under section 13, shall be one year from the date of detention.

15. Revocation of Detention Orders.—(1) Without prejudice to the provisions of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) a detention order may, at any time for reasons to be recorded in writing, be revoked or modified by the Administrator, notwithstanding that the order has been made by an authorised Officer.

(2) The expiry or revocation of a detention order (hereinafter in this sub-section referred to as "the earlier detention order" shall not bar the making of another detention order (hereinafter in this sub-section referred to as "the subsequent detention order") under section 3 against the same person :

Provided that in a case where no fresh facts have arisen after the expiry or revocation of the earlier detention order made against such person, the maximum period for which such person, may be detained in pursuance of the subsequent detention order shall in no case extend beyond the expiry of a period of twelve months from the date of detention under the earlier detention order.

16. (1) Temporary Release of persons detained—(1) The Administrator may, at any time, for reasons to be recorded in writing, direct that any person detained in pursuance of a detention order may be released for any specified period, either without conditions or upon such conditions specified in the direction as that person accepts, and may, at any time, cancel his release.

(2) In directing the release of any detenu under sub-section (1), the Administrator may require him to enter into a bond, with or without sureties, for the due observance of the conditions specified in the direction.

(3) Any detenu released under sub-section.—(1) shall surrender himself at the time and place, and to the authority, specified in the order directing his release or cancelling his release, as the case may be.

(4) If any detenu fails without sufficient cause to surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(5) If any detenu released under sub-section (1) fails to fulfil any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or in the bond entered into by him, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof.

17. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Administrator or any officer or person, for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

18. Matters within the purview of this act to be dealt with under this act only.—On and after the extension of this Act to be Union territory of Dadra and Nagar Haveli, no order of detention under the National Security Act, 1980 shall be made by the Administrator or any officer subordinate to him in respect of any bootlegger, drug offender, dangerous person, immoral traffic offender, or property grabber in the union territory on the ground of preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, in so far as an order under this Act, could be made for detention of such person.

[File No. U-11015/3/93-UTL]
RAJEEVA R. SHAH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996